न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3249-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-8-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 439/अपील/2013-14.

---

1. श्रीमती गीताबाई पिता भागीरथ
   निवासी असरावद खुर्द, इन्दौर
2. श्रीमती सेतना पिता भागीरथ
   निवासी मूसाखेड़ी, इन्दौर
3. श्रीमती सीताबाई पिता भागीरथ
   मृतक तर्फे वारिस कैलाश पिता बोंदर
   निवासी ग्राम तिल्लोर खुर्द, इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. करन सिंह पिता भागीरथ
2. अम्बाराम पिता भागीरथ
   निवासीगण असरावद खुर्द, इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. कानूनगो, अभिभाषक आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 12-8-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, इन्दौर के नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 दिनांक 5-9-76 में पारित आदेश दिनांक 3-2-77 के विरूद्ध प्रथम

अपील अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के समक्ष दिनांक 29-5-14 को लगभग 37 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2013-14 दर्ज कर दिनांक 18-6-2014 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-8-2014 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) ग्राम असरावद खुर्द तहसील व जिला इन्दौर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 15, 80, 530 एवं 531 कुल रकबा 11.06 एकड़ उभय पक्ष के पिता भागीरथ के नाम दर्ज थी और उनके पिता की मृत्यु उपरांत उक्त प्रश्नाधीन पैतृक भूमि पर अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना पत्र की तामीली कराये, अवैधानिक रूप से नामांतरण पंजी पर अपना नामान्तरण करा लिया गया है । उक्त नामान्तरण पंजी जिला अभिलेखागार में जमा नहीं हुई, अत: उसका कोई अस्तित्व नहीं है ।

(2) आवेदकगण अशिक्षित, घूंघट में रहने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं, उनका बगैर पुरूष के घर से बाहर निकलना संभव नहीं है । आवेदकगण अपने भाईयों पर विश्वास करती रहीं और उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि जमीन पर राजस्व अभिलेखोंमें नाम दर्ज कराना आवश्यक है । अनावेदकगण को दिनांक 21-5-2014 को अनावेदकगण के कृत्यों की जानकारी होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । अवधि विधान की धारा 5 एवं अनुसूची क्रमांक 65 में जानकारी के दिनांक से समय-सीमा की गणना किये जाने का प्रावधान है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं कर अपील समय बाह्य मानने में त्रुटि की गई है ।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में जन्म से अधिकार है, परन्तु अनावेदकगण बाले-बाले आवेदकगण के नाम छिपाकर फौती नामान्तरण करवाया है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य । आवेदकगण को संवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है ।

(4) विधायिक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 इस मंशा से पारित किया गया है कि जिन पक्षकारों को किसी प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो या अपना पक्ष रखने का अवसर न दिया गया हो अथवा सम्यक सूचना तामील किये बगैर अधिकारों का हनन हुआ हो तो इस प्रावधान के अनुरूप न्याय प्राप्त कर सकें ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 296 (उच्च न्यायालय) 2014 आर.एन. 291, 2006 आर.एन. 156, 2012 आर.एन. 332 (उच्च न्यायालय), 2004 आर.एन. 289 एवं 1983 आर.एन. 298 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय बाह्य मानकर निरस्त की गई है, जबकि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय बाह्य नहीं थी। चूंकि प्रथम दृष्टया आवेदिकागण मृतक भूमिस्वामी स्व. भागीरथ की पुत्रियां होकर वैध वारिस हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा संभवत: नहीं सुना गया है । तत्समय की पंजी भी उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को प्रकरण का निराकरण समय-सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर गुण-दोष पर करना चाहिए था । अत: प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह प्रकरण का गुण-दोष के आधार पर विधिवत निराकरण करें ।

6/ अपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 12-8-2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर